न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 32/2016

श्रीमति लक्ष्मी वयस्क पत्नि श्री कैलाश जाति सैन निवासी ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0 ————वादिया

ब ना म

1– राजस्थन सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर तहसीलदार एंव उपपंजीयक मसूदा राज0

2– राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, अजमेर राज0

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 8/2/2018

वादीया ने अपने वाद पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है, कि मौजा ग्राम मसूदा द्वितीय पटवार क्षैत्र मसूदा द्वितीय तहसील मसूदा में साबिक खसरा नंबर 542ए 774, 83, 877 हाल खसरा नंबर 4228/6 रकबा 121 बीघा 10 बिस्वा जिसका मूल खसरा नंबर 4632/4228 थे तथा खसरा नंबर 4228/6 उपरोक्त मूल साबिक खसरे का ही एक अंग है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में राज्य सरकार के नाम से पहाडी एंव पर्वत के रूप में अंकित चली आ रही है। वादिया एक भूमिहीन काश्तकार है, तथा वादीया के पास अपनी स्वंय की खातेदारी की कोई आराजियात नही है उक्त आराजी खसरा नंबर 4228/6 में से लगभग 6 बीघा भूमि पर वादीया अपने पूर्वजो के समय से अर्थात पिछले करीबन 30 वर्षो से लगातार सबकी जानकारी में खुल्लमखुला रूप से बिना किसी बाधा एंव रूकावट के अनरत रूप से काबिज चली आ रही है। वादीया ने उक्त भूमि में लाखो रूपये की धनरांशि लगाकर तथा उसे समतल करवाकर काश्त योग्य बनाया तथा उसमें उच्च किस्म के खाद बीज इत्यादि डालकर उन्नत उपजाऊ एंव कीमती बनाया है। वादीया ही उक्त भूमि पर काबिज होकर समय समय पर तिल, ज्वार, बाजरा, चरी इत्यादि की फसले काश्त करती चली आ रही है। तथा फसल प्राप्त कर उससे होने वाली आय से वादीया व उसके परिवार का जीवनयापन भरण पोषण होता है इसके अतिरिक्त वादीया व उसके परिवारजन के पास अपनी आजीविका उपार्जन हेतू अन्य कोई काश्त की भूमियां उपलब्ध नही है। तथा राजस्व रेकार्ड खसरा परिवर्तन निर्धारण एंव गैर मुस्तकिल काश्त संवत 2067 से 2069 इत्यादि में वादीया का नाम काश्तकार के रूप में अंकित चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी समय समय पर धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस भी जारी किया गया और वादीया द्वारा जुर्माना राशि भी जमा करवाई जाती रही है। तथा वादीया का 30 वर्षो से कब्जा चला आने के कारण कब्जा मुखालफाना सिद्धान्तानुसार भी खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हो चुकी है। वादीया ने दिनांक 01.04.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि वे उपरोक्त आराजी का वादीया के हक में नियमन करके उपरोक्त आराजी को वादीया के हक में राजस्व अभिलेखो में अंकित करा देवे किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने साफ इन्कार कर दिया और धमकी दी, कि वादीया उक्त आराजी से अपना कब्जा हटा लेवे वरना वादीया को उपरोक्त आराजी से जबरन बेदखल कर देंगे तथा उसमें तोडफोड कर भारी नुकसान पहुंचायेंगे तथा वादीया को जबरन बेदखल करने पर आमादा है, इस कारण वाद की आवश्यकता हुई। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीया को उक्त कब्जेशदा भूमि 6 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जाता है, तो नियमन किये जाने के आदेश पारीत किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीया को विवादित भूमि से बेदखल नही करे तथा वादीया के चले आ रहे कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे यदि वादीया को बेदखल कर दिया जाता है, कि तो पुनः वादीया को कब्जा दिलाया जावे।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है, कि वादीया अपने वाद को स्वंय सिद्ध करे तथा जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 1 में भूमि सरकारी खाते में दर्ज है तथा मौके पर भूमि रिक्त है।

प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई वकील वादीया ने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये दावा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया वादीया ने अपने वाद पत्र में विवादित भूमि में 6 बीघा भूमि पर अपना कब्जा 30 वर्षो पूर्व से चले आने तथा उसके द्वारा उन्नत कर काबिल काश्त बनाने का कथन किया है, और अपने नाम खातेदारी प्राप्त करने या नियमन करने का कथन किया है। वादीया ने दस्तावेज साक्ष्य में तहसीलदार मसूदा द्वारा वादीया को विवादित भूमि पर अतिचार करने बाबत धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत सन् 2015, 2012, 2013, 2008, 2010, में दिया जाना पाया गया। तथा सन् 2011, 2012, 2013, 2010, 2008, 2008 में जमा कराने बाबत जुर्माना रसीद में वादीया का नाम दर्ज होना पाया गया। तथा खसरा परिवर्तन निर्धारण संवत 2069 में काश्तकार के कॉलम में वादीया का नाम एंव फसल ग्वार व ज्वार खसरा नंबर 4228/6 रकबा 6 बीघा बोना अंकित पाया गया। इसी प्रकार खसरा परिवर्तन निर्धारण संवत 2067 में काश्तकार के कॉलम में वादीया का नाम एंव फसल तिल, ज्वार, बाजरा चरी खसरा नंबर 4228/6 रकबा 6 बीघा बोना अंकित पाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादीया का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मसूदा द्वितीय पटवार क्षैत्र मसूदा द्वितीय तहसील मसूदा स्थित खसरा नंबर 4228/6 में रकबा 6 बीघा भूमि में वादिया द्वारा कब्जा काश्त किये जाने से आवंटन एवं नियमन कमेटी के समक्ष प्रकरण रखे जाने की अभिशंषा की जाती है। आवंटन एवं नियमन कमेटी नियमानुसार आवंटन एवं नियमन अधिनियम के अधीन कार्यवाही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधि० एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.30 16:23:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: